संख्या– I/ /2025–2(24पे0)/2001 ई–52323

प्रेषक,

अपूर्वा पाण्डेय,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्वजल निदेशालय,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक नवम्बर, 2025

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–I/226866/E-38(XV)/2025/E-157986 दिनांक 18.11.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु भारत सरकार के स्वीकृति आदेश संख्या–S-12011/8/2025-SBM-I-DDWS दिनांक 10.11.2025 द्वारा SNA-SPARSH under SBM(G) के अन्तर्गत ₹ 500.00 लाख (रू0 पॉच करोड़ मात्र) की Mother Sanction (केन्द्रांश) के व्यय की एवं केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश **₹ 5555555.00 (₹ पचपन लाख पचपन हजार पॉच सौ पचपन मात्र)** की धनराशि तालिका के कॉलम–06 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि रू0 में)

अनुदान संख्या	श्रेणी	मद	केन्द्रांश	राज्यांश	वर्तमान में अवमुक्त राज्यांश की धनराशि
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**
13	सामान्य	राजस्व	2000000.00	222222.00	222222.00
13	सामान्य	पूंजीगत	32565000.00	3618333.00	3618333.00
	योग (सामान्य)		**34565000.00**	**3840555.00**	**3840555.00**
30	एस0सी0पी0	पूंजीगत	13898000.00	1544222.00	1544222.00
31	टी0एस0पी0	पूंजीगत	1537000.00	170778.00	170778.00
	कुल योग		**5000000.00**	**5555555.00**	**5555555.00**

(i) उक्त धनराशि निदेशक, पी0एम0यू0 स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके

कोषागार देहरादून से आहरित की जायेगी। धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही कोषागार से किया जायेगा।

(ii) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि केवल स्वीकृत एवं अनुमोदित मदों पर ही व्यय की जायेगी। स्वीकृति से अधिक व्यय किसी भी दशा में नही किया जायेगा।

(iii) स्वीकृत धनराशि का विभिन्न मदों पर व्यय अनुमोदित परियोजना के अनुसार तथा सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जायेगा। कार्यवार धनावंटन एवं व्यय की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(iv) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेंन्शियल हैण्डबुक तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। इसके साथ ही समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेश के अनुसार ही धनराशि व्यय की जाय और मितव्ययता बरती जाय।

(v) उपरोक्त प्रस्तर–iii एवं iv में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार से विचलन होगा तो संबंधित वित्त नियंत्रक आदि का उत्तरदायित्व होगा। सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना वित्त विभाग को दी जाय।

(vi) स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा अर्थात पार्किंग आफ फण्ड नहीं किया जायेगा।

(vii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण उपयोग कर कृत कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं शासन को समयबद्व रूप से प्रेषित कर दिया जाय।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में **अनुदान संख्या–13** के लेखाशीर्षक ''2215–जलपूर्ति तथा सफाई–02–सीवरेज एवं स्वच्छता–105–सफाई सेवाएं–01–केन्द्र सहायतित योजना–01–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)(90% के0पो0)–71–केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश तथा लेखाशीर्षक ''4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–02–सीवरेज एवं स्वच्छता–106–सीवरेज सेवाएं–01–केन्द्र सहायतित योजना–01–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)(90% के0पो0)–71–केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश, **अनुदान संख्या–30** के लेखाशीर्षक ''4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–02–सीवरेज एवं स्वच्छता–106–सीवरेज सेवाएं–01–केन्द्र सहायतित योजना–01–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–71–केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश तथा **अनुदान संख्या–31** के लेखाशीर्षक ''4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–02–मल निकासी एवं सफाई–106–सीवरेज सेवाएं–01–केन्द्र सहायतित योजना–01–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)(90%)–71–केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश के नामे डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को संलग्न कम्प्यूटर आवंटन आई0डी0 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31.03.2025 एवं शासनादेश संख्या–329896/E-79713/03(150)2017/XXVII(1)/2025 दिनांक 12.09.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31.03.2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि

Digitally signed by Apurva Pandey
Date: 01-12-2025 10:42:01

भवदीया

(अपूर्वा पाण्डेय)
अपर सचिव।

पृ0सं0– / 2025–2(24पे0)/2001– ई0प0सं0 52323 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक, सी0आर0एस0टी0, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
7. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Digitally signed by Vivek Kumar Jain
Date: 01-12-2025 11:11:48

(विवेक कुमार जैन)
उप सचिव।